

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना

प्रयागराज जोन, प्रयागराज ।

1. प्रयागराज जोन, प्रयागराज में सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है

2. जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ / कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना , जो कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गयी सूचना का सम्बन्ध प्रयागराज जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना ।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ / कार्य:-जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गयी सूचना का सम्बन्ध प्रयागराज जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना ।

3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित सूचना का दिया जाना एवं मांगी गयी सूचना का सम्बन्ध प्रयागराज जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना ।

4. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है ।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना ।

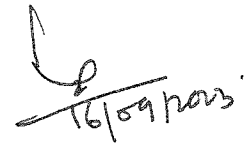
6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है ।

- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - शासन / अन्य माध्यमों प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - अपीलीय प्रार्थना पत्र
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है ।
 10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।
 14. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-शून्य
 15. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा ।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम-अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1.	श्री भानु भास्कर	अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज / प्रथम अपीलीय अधिकारी	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध की गयी अपीलों का निस्तारण करना एवं अपीलों का सम्बन्ध प्रयागराज जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
2.	श्री प्रवीन सिंह चौहान	अपर पुलिस अधीक्षक / स्टाफ ऑफिसर / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना, जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गयी सूचना का सम्बन्ध प्रयागराज जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
3.	श्री अवधेश तिवारी	प्रधान लिपिक /सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
4.	सुश्री रेखा वर्मा	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए /सहायक लिपिक तृतीय सहयोगी	जनसूचना अधिकार सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।



जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, जोन
प्रयागराज।